

सं० सं० 14/एम 11- 1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
सरोज गुप्ता कैंसर सेंटर एंड रिसर्च
50 महात्मा गांधी रोड, डाकुर पुकुर
कोलकता-700063

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.04.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सिम्पी कुमारी पिता- सजय कुमार ग्राम+पो- खरथुआ थाना- हरनौत जिला- नालंदा	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			रु० 1,00,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि रु० ₹ 1,00,000/- (एक लाख) का क्रास चेक सं० 196868 मूल रूप में सलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित भरीत/उनके अभिभावक/उनराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
- चिकित्सा AIIMS के दर पर ही करें। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code-

SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1063(14)

पटना, दिनांक 17/4/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक बेली रोड पटना को प्रेषित करते हुए जगन्नाथ चरण सलगुन चेक स0 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई की मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अपर महानिदेशक,
सी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज
गोरखपुर - 273013

पटना, दिनांक

विषय-- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महोदय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.04.2025 की बैठक में लिये निर्णय के अनुरूप आपके रास्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
	यारिका परवीन पिता - दस्तखार असारो ग्राम- पकडिहार पो0- कुडवा मठिया थाना- कुमारबाग जिला- पश्चिम चम्पारण	कोकिलियर इम्प्लाट	4,50,000	चार लाख पचास हजार रुपई।
			4,50,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,50,000 /- (चार लाख पचास हजार) रुपये का क्रास चेक स0.

176867 मूल रूप में सलग्न है।

3 गलत प्रमाण पत्र/चुदन नमन /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष में प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक भाग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5 चिकित्सा AIIMS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।

- 6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

रु०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1053(14)

पटना, दिनांक 17/4/2023

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ पेशित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1 /2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
चरनोक अस्पताल प्रा0 लि0
तेघरीया, मेजोर आस्टेरीयल रोड
न्यु टाउन, कोलकता-700157

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 09.04.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुधा सिन्हा पति- सजय कुमार ग्राम- बेलधाना पो0- नुरसाई थाना- चडी जिला- नालदा	गुर्दा प्रत्यारोपण	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
			कुल ₹ 3,00,000 / -	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000 / - (तीन लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक स0 / 9687/ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0- 50200100799372, खाता धारक का नाम- 'Charnock Hospitals Private Limited, खाते का प्रकार- Cash Credit Account, बैंक का नाम- HDFC Bank Ltd, शाखा का नाम- Ground Floor, Sagar Jyoti Apartment, VIP Road, Kolkata, RTGS/IFSC कोड स0 HDFC0009518 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

- 6 चिकित्सा CGHS के दर पर ही निर्गत करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाये। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
- 7 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1065(14)

पटना, दिनांक 17/4/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196871 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना, सबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0 14/एम 11-01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
बी०एम० बीडला,हार्ट रिसर्च, सेटर
1/1 नेशनल लाईब्रेरी एवेन्यु
कोलकत्ता-700027

पटना, दिनांक. . . .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक **09.04.2025** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रजित कुमार राय पिता— लक्ष्मण राय ग्राम— बुढवन पो०— नवकरही थाना— अरेर जिला— मधुबनी	हृदय रोग एमबीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			1,50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196871 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०— **232102000000002**, खाता धारक का नाम— बी०एम० बीडला हार्ट रिसर्च सेटर कोलकत्ता, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—**इंडियन ओवरसीज बैंक**, शाखा का नाम—**7/2 डायमंड हरबर रोड कोलकत्ता-700027 ब्रांच**, RTGS/IFSC कोड सं० **IOBA0002321** में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यं ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1064(14)

पटना, दिनांक 17/4/2023

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196871... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/.एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक,
इंस्टीच्युट आफ किडनी डिजीज
एंड रिसर्च सेंटर बी०जे० मेडिकल कालेज
एंड सिविल अस्पताल कैम्पस असरवा
अहमदाबाद-380016

पटना, दिनांक

विषय - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.04.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	आरती कुमारी शैलेश सिंह पिता- शैलेश सिंह ग्राम- कोइरी बिगहा पो०+थाना- बेलगज जिला- गया	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
			₹ 3,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000/- (तीन लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० ~~176871~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० -353501011014063 खाता धारक का नाम-"इंस्टीच्युट आफ किडनी डिजीज एंड रिसर्च सेंटर" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- युनियन बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-Civil Hospital Compound Branch, ब्रांच, RTGS/ IFSC कोड सं० UBIN 0558486 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1062(14)

पटना, दिनांक

17/4/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196871 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई सी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० स० 14/ एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
नारायणा सुपर स्पेशलीटी अस्पताल,
120/1, अंदुल रोड,
हावड़ा-711103

पटना, दिनांक

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.04.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मास्टर अयान अग्निहोत्री पिता- कुमार अग्निहोत्री ग्राम- बाल्मी चक पटना नियर बैंक ऑफ इंडिया पो०- अनिशाबाद थाना- गर्दनीबाग जिला- पटना	हृदय रोग एम्बीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			₹ 1,50,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 126871 ... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-921030004381537, खाता धारक का नाम- मेरिडीयन मेडिकल रिसर्च, हौस्पिटल लि०, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-AXIS BANK LTD, शाखा का नाम-सी०बी०बी० बगलौर ब्रांच, हावड़ा वेस्ट बंगाल, RTGS/IFSC कोड सं० UTIB 0001541 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधि मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1061(14)

पटना, दिनांक 17/4/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196871 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/ एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
के० ई०एम० अस्पताल
एडं सेठ जी०एस० मेडिकल कालेज
परेल मुम्बई 400012

पटना, दिनांक.....

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.04.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	विजेश साह पिता- नाथो साह ग्राम+पो0- नरियार थाना+जिला- सहरसा	हृदय रोग एमभीआर	1,75,000	एक लाख पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			₹ 1,75,000 /-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,75,000/- (एक लाख पचहत्तर हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता स0-30121380424 एस0 बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196871 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0 99350100000877 (S.B.), खाता धारक का नाम- K.E.M. Hospital, Poor Box Charity Fund,, खाते का प्रकार- , बैंक का नाम Bank of Baroda, शाखा का नाम- Parel Branch, RTGS/IFSC कोड स0- BARB0DBPARE में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्याँरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।

१ -

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय ।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

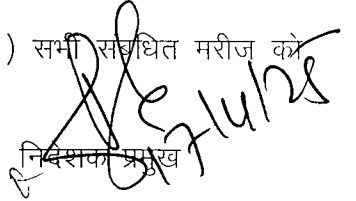
निदेशक प्रमुख ।

ज्ञापाक 1059 (14)

पटना, दिनांक 17/4/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176871 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय ।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/ एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
टाटा स्मारक अस्पताल,
परेल, मुम्बई -400012

पटना, दिनांक ..

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.04.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मनिषा कुमारी पति- सजीत कुमार तिवारी ग्राम+पो0- तुरहापट्टी थाना- सिरिसिया ओपी जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल न0- सीएस/13898	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	सुनीता कुमारी पति- राजेश कुमार भारती ग्राम- चक्की पो0- मजूरवा थाना- सोनबरसा जिला- सीतामढ़ी केस फाईल न0- 11एफ2024/018490	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	बिहारी कुमार पिता- सिन्देश्वर प्रसाद ग्राम- कोयरीबीघा पो0+थाना- बरबीघा जिला- शेखपुरा केस फाईल न0- 11एफ2024/030216	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	श्याम कुमार पिता- शिव कुमार सिंह ग्राम- हरदिया बरवत सेना पो0- बरवत सेना थाना- मुफस्सिल जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल न0- 11एफ2023/027407	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	बृजेश सिंह पिता- रामझकबाल सिंह ग्राम- पिपरिया, पो0- छेवाडी थाना- रामगढ जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल नं0- 11एफ2023/015568	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	अशोक कुमार सिंह पिता- कामेश्वर सिंह ग्राम- सहदेई खुर्द पो0- महनार रोड, थाना- देसरी जिला- वैशाली केस फाईल नं0- 11 एफ 2025/001998	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			5,40,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,40,000/- (पाँच लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान /अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ~~17687~~/..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 1002449683 खाता धारक का नाम- टाटा स्मारक अस्पताल परेल मुम्बई, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम- टी0एम0एच0, RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0284241 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1058(14)

पटना, दिनांक 17/4/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 ~~17687~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

ARVACHIN HOSPITAL,

Plot No. 1700, Amara Khaira Chak,

Akhari Bypass NH 2,

(Near Delhi Public School)

Varanasi 221011.

पटना, दिनांक .

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.04.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	बासदेव सिंह पिता— स्व० बशरोपन सिंह ग्राम+पो०+थाना— चोंद जिला— कैमूर भभुआ	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	आभा कश्यप पति— संजय कुमार कश्यप ग्राम— मुबारक गंज सासाराम पो०+थाना— सासाराम जिला— रोहतास	हृदय रोग सर्जरी 3 स्टेन्ट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	चंद्र प्रकाश वर्मा पिता— सियावर प्रसाद ग्राम— नारायणपुर पो०+थाना— मैगरा जिला— गया	ब्रेन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	अनीता देवी पति— अजय कुमार ग्राम— इ रेलवे कोलोनी पो०— देहरी थाना— डेहरी जिला— रोहतास	स्पाईन सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

5	आरती कुमारी पति- अनिल कुमार ग्राम- बाबू गज पो- देहरी थाना- डेहरी जिला- रोहतास	कोकलियर इम्प्लान्ट	4,50,000	चार लाख पचास हजार स्वीकृत।
			9,30,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 9,30,000/- (नौ लाख तीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 196871.... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50200088951405 खाता धारक का नाम- **Arvachin Healthcare Private Limited**, खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- **HDFC Bank**, शाखा का नाम- **Lohta**, RTGS/IFSC कोड सं० **HDFC0002166** में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1057 (14)

पटना, दिनांक- 17/4/2023

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 196871 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी. मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
होमी भाभा कैंसर अस्पताल
घंटी मिल रोड, लहरतारा,
ओल्ड लोको कालोनी, शिवपुरवा
वाराणसी 221002

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.04.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	माला देवी पति— सुरेन्द्र नाथ तिवारी ग्राम— खरगपुरा पो0— डिहरी थाना— राजपुर जिला— बक्सर केस फाईल न0—18एफ2023/005719	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	रजनीश कुमार पिता— रामबली प्रसाद ग्राम— बरौव पो0— पररिया थाना— बघैला जिला— रोहतास केस फाईल न0— केडी/51885	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	रेखा कुमारी पति— राजकुमार सिंह ग्राम— सचई पो0+थाना— कुर्था जिला— अरवल केस फाईल न0—11एफ2024/036994	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	विद्या लक्ष्मी देवी पति— स्व0 कमला सिंह ग्राम— शेरपुर पो0— चैनपुर थाना— चैनपुर जिला— कैमूर भभुआ केस फाईल न0—16एफ2024/002123	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	राधा देवी पति- नवल ठाकुर ग्राम- सुन्दरपुर पो0- लालबाग थाना- एल0 एन0 एम0 यु0 जिला- दरभंगा केस फाईल न0-19एफ2023 / 004824	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	माला देवी पति- स्व0 रामेश्वर प्रसाद ग्राम- मश पाण्डेय बाग आरा पो0- आरा थाना- टाउन जिला- भोजपुर केस फाईल न0- सीटी / 10002	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
7	राम जपो साह पिता- राम लखन साह ग्राम+पो0+थाना- खोदावदपुर जिला- बेगूसराय केस फाईल न0-16एफ2025 / 000470	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	अजमेरी खातुन पति- हाफिज अंसारी ग्राम- गडुरा पो0- देवमार्कण्डेय थाना- काराकाट जिला- रोहतास केस फाईल न0-16एफ2024 / 000849	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
9	दुर्गा सिंह पति- अम्बुज कुमार ग्राम- रेडिया पो0- तेलारी थाना- चेनारी जिला- रोहतास केस फाईल न0-18एफ2025 / 002347	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	काला देवी पति- योगेद्र सिंह ग्राम- गगापुर भरसो टोला पो0- गगापुर थाना- रतवारा जिला- मधेपुरा केस फाईल न0-16एफ2025 / 000421	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
11	छोटू कुमार पिता- राजेन्द्र साह ग्राम+पो0- गनीपुर बेझा थाना- सकरा जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- केई / 17260	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
12	रीता देवी पति- बीरेद्र यादव ग्राम+पो0- दुल्लहपुर थाना- सिमरी जिला- बक्सर केस फाईल नं0-18एफ2025 / 000633	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

13	सीता देवी पति- अदालत राम ग्राम- सकरी पो0- सिकटिया थाना- भगवानपुर हाट जिला- सिवान केस फाईल न0- केई/06710	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
14	अनीता देवी पति- सुरेश साह ग्राम- पिपरा पो0- दरपा थाना- दरपा जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0-19एफ2025/000063	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
15	चिन्ता देवी पति- राम प्रवेश राम ग्राम- कुल्हरिया पो0- कर्मनाशा थाना- दुर्गावती जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न0-18एफ2024/003828	कैसर रोग	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
16	उमेश साह पिता- रामजी साह ग्राम+पो0- रजवटिया थाना- बगहा जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल न0-16एफ2024/002455	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
17	अजली कुमारी पति- कुदन शाही ग्राम- चनयन बाध पो0- आरनहवा थाना- मझौलिया जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल न0-16एफ2025/000346	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
18	सुरेश शर्मा पिता- रामधनी शर्मा ग्राम- लौरिया मिश्रा टोला पो0+थाना- लौरिया जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल न0-18एफ2024/021685	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
19	सुनील प्रसाद केशरी पिता- रामचद्र प्रसाद ग्राम- भभुआ वार्ड न0- 24 पो0+थाना- भभुआ जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न0- केई/50765	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	मो0 कादीर हुसैन पिता- मो0 इसराइल मिया ग्राम- कोरीगावा पो0- महवाल थाना- बरुराज जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0-16एफ2023/002191	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

21	प्रदीप बैठा पिता- हरिराम बैठा ग्राम- धोबी टोला पो0- मच्छहा थाना- भितहॉ जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल न0-18एफ2024 / 015700	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
22	सतोष कुमार पिता- जगदीश प्रसाद ग्राम- रमन सिंह की गली डुमराव पो0+थाना- डुमराव जिला- बक्सर केस फाईल न0- केई / 03827	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	सबिता कुमारी पति- विश्वनाथ प्रसाद ग्राम- कर्मा मसूद पो0+थाना- रफीगज जिला- औरंगाबाद केस फाईल न0-18एफ2024 / 019314	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
24	सुनीता देवी पति- अलगू सिंह ग्राम- सेमरिया पो0- बढौना थाना- चैनपुर जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न0-18एफ2024 / 015318	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
25	राकेश कुमार पिता- सोनभद्र सिंह ग्राम- कुसही पो0- कनियारी थाना- दिनारा जिला- रोहतास केस फाईल न0- 16एफ2024 / 00062	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
26	सीमा श्रीवास्तव पति- राज किशोर श्रीवास्तव ग्राम+पो0- मुरला थाना- रामगढवा जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0-18एफ2024 / 012568	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
27	कामेश्वर प्रसाद साह पिता- मनाई साह ग्राम+पो0+थाना- बासोपट्टी जिला- मधुबनी केस फाईल न0-18एफ2024 / 012972	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
28	शारदा देवी पति- दूधनाथ सिंह ग्राम- उसरी पो0- अकोढी थाना- मोहनियों जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न0-18एफ2024 / 017542	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

29	गोपाल साह पिता- जीउत साह ग्राम- देउवॉ पो0- बराढी थाना- चैनपुर जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न0-18एफ2023 / 019736	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
30	राधा कुमारी पिता- मुकेश कुमार ग्राम- कार्यानदनगर पो0+थाना- राजगीर जिला- नालदा केस फाईल न0-19एफ2025 / 000418	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
31	उपेद्र मिश्रा पिता- राधेश्याम मिश्रा ग्राम- उकरेडी पो0- केवटलिया थाना- दरौली जिला- सिवान केस फाईल न0- केसी / 58700	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
32	ऊषा देवी पति- लालबाबू यादव ग्राम- नड्डा खेखरिया टोला पो0+थाना- भैरोगज जिला- पश्चिम चम्पारण केस फाईल न0-18एफ2024 / 015911	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
33	सविता देवी पति- अरुण कुमार ग्राम- नई बाजार थाना- मोडल पो0+जिला- बक्सर केस फाईल न0-18एफ2025 / 002850	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
34	गुजा कुमारी पिता- राजेश महतो ग्राम- शेर टोला चादपरना पो0+थाना- सिधवलिया जिला- गोपालगंज केस फाईल न0-16एफ2024 / 002392	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
35	विनोद साह पिता- नथुनी साह ग्राम- बिउर पो0- बियर थाना- चैनपुर जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न0- सीएस / 36677	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	सुरेद्र सिंह पिता- छट्टु सिंह ग्राम- गोपालपुर टोला देउरवा पो0- अहियापुर थाना- भोरे जिला- गोपालगंज केस फाईल न0-16एफ2025 / 000331	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

37	सुशीला देवी राजकुमार प्रसाद पिता- राजकुमार प्रसाद ग्राम- बिउर पो0+थाना- चैनपुर जिला- कैमूर भभुआ केस फाईल न0-18एफ2025/000671	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
38	राघव प्रसाद पिता- रामचंद्र प्रसाद ग्राम- मौना बानगंज शिव महल के निकट पो0- छपरा थाना- नगर जिला- सारण केस फाईल न0- केई/04155	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
39	मुन्ना कुमार ठाकुर पिता- गणेश ठाकुर ग्राम- बभनौली पो0- काशीला थाना- असॉव जिला- असॉव केस फाईल न0-16एफ2023/001806	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
40	अजलि कुमारी पिता- सजय कुमार सिंह ग्राम+पो0- इदौर थाना- दिनारा जिला- रोहतास केस फाईल न0-11एफ2023/007564	कैंसर रोग	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
41	रामानंद ओझा पिता- कृष्ण कात ओझा ग्राम- फ्रेड्स कॉलोनी पकडी आरा पो0- आरा नवादा थाना- टाउन जिला- भोजपुर केस फाईल न0- केई/16500	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			40.20,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 40,20,000/- (चालीस लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0-30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 176871 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0 3675632747 खाता धारक का नाम- होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, वाराणसी, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड स0 CBIN 0280196 मे अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सवधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान

की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

- 5 चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
- 6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1056(14)

पटना, दिनांक— 17/4/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196871 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
सर सुन्दर लाल अस्पताल,
इस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस
वाराणसी -221005

पटना, दिनांक . . .

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 09.04.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3		5
1	अखिलेश कुमार राम पिता- राम नगीना राम ग्राम- खराटी पो0- चण्डेश थाना- कुढनी जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न0- 4018940	न्यूरो सर्जरी सीजर	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	शिव नारायण पिता- पतिराम प्रसाद यादव ग्राम- कादीपुर पो0- नगरा थाना- नगरा जिला- सारण एमआरडी न0- 6233533	Post Transplant	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	हिरा साह पिता- कान्ता साह ग्राम- बन्दीपुर पो0+थाना- रामगढ जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न0- 4855367	Post Transplant	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	सजू देवी पति- जीतेन्द्र बिद ग्राम+पो0- तरैथा थाना- रामगढ जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न0- 7208975	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	उषा देवी पति- हनुमत चौधरी ग्राम+पो0- सुगौली थाना- शिकारपुर जिला- पश्चिम चम्पारण एमआरडी नं0- 7176895	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	शिवाश पिता- विनय कुमार ग्राम- घरबैर पो0- सासाराम, थाना- दरिगाव जिला- रोहतास एमआरडी नं0- 7261668	किडनी PUJO	75,000	पचहत्तर हजा स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
7	उमरावती कुवर पिता- सुदामा पाण्डे ग्राम+पो0+थाना- बडहरी जिला- रोहतास एमआरडी नं0- 5737902	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	मीना देवी पति- शिवबचन ग्राम- कुरुआसोत पो0- कोल्हुआ, थाना- अधौरा जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी नं0- 6366246	हृदय रोग एमभीआर	1,90,000	एक लाख नब्बे हजार स्वीकृत।
9	रीना देवी पति- मुन्ना साह ग्राम- पहरैचा पो0- सिरहीरा, थाना- चांद जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी नं0- 7249212	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	अशु कुमारी पिता- सनोज कुमार सिंह ग्राम- लोहरा वार्ड 6 पो0- अधौरा थाना- लोहरा जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी नं0- 7090582	पेडेएट्रिक सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
11	चदा देवी पति- लक्ष्मन पासवान ग्राम- अमरपुर पो0- खरेदा थाना- भगवानपुर जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी नं0- 6226309	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
12	सूरज कुमार पिता- संदीप गोड ग्राम+पो0- टडवा परसिया थाना- दरौली जिला- सिवान एमआरडी नं0- 7186620	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

13	विमला देवी पति- जितेन्द्र सिंह ग्राम+पो0- कसेर थाना- भगवानपुर जिला- कैमूर भभुआ एमआरडी न0- 7004972	हृदय रोग पेसमेकर	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			₹ 13,40,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 13,40,000/- (तेरह लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 19687/ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 27790100039150 खाता धारक का नाम- **Other-Patient Relief Fund BHU**, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- **Bank of Baroda**, शाखा का नाम- **BHU, Varanasi**, RTGS/IFSC कोड सं0 BARB0BHUVAR में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- चिकित्सा **AIIMS** के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक

1054(14)

पटना, दिनांक

17/4/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 19687/ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक, /अधीक्षक
डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान
संस्थान, गोमती नगर
लखनऊ -226010

पटना, दिनांक-

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 09.04.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	धनजी कुमार पिता- रामचन्द्र सिंह ग्राम- अमरपुर पो०+थाना- राजपुर जिला- रोहतास	न्यूरो सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196871 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-6193000100005944, खाता धारक का नाम-MS DR.RMLIMS HOSPITAL ADMINISTRATION खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-पंजाब नेशनल बैंक, शाखा का नाम-विभूतिखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ RTGS/IFSC कोड सं०-PUNB0619300 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा

चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1052 (14)

पटना, दिनांक 17/4/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196871 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई.टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सभ सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/ एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
मेदान्ता द मेडिसिटी,
सेक्टर-38, गुरुग्राम, हरियाणा,
पिन-122001

पटना, दिनांक.. . .

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.04.2025 की बैठक में नर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में।
1	2	3	4	5
1	श्लोक कुमार शर्मा पिता- युगल किशोर शर्मा ग्राम- मिर्जापुर पो0- रुकुनपुर थाना- दीदारगज जिला- पटना	गुर्दा प्रत्यारोपण	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
			3,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000/- (तीन लाख) रु० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 176871 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स०-106905001433, खाता धारक का नाम- ग्लोबल हेल्थ प्रा० लि०, पेयबल- दिल्ली/गुडगांव, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-ICICI Bank, शाखा का नाम-, RTGS/IFSC कोड स० ICIC0001148 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

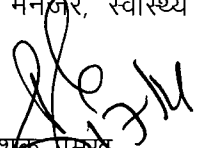
ज्ञापाक 1050(14)

पटना, दिनांक

17/4/2023

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 19687/ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीज के सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

मेडिकल सुप्रीटेण्डेंट,
डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल,
नई दिल्ली-110001

पटना, दिनांक

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.04.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मुन्ना चौधरी पिता- सुदर्शन चौधरी ग्राम- सुरतापुर पो०- सैसड थाना- दिनारा जिला- रोहतास	Post Renal Transplant	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	हरेद्र कुमार यादव पिता- शिव जतन यादव ग्राम+पो०- धरौली थाना- बगेगोला जिला- बक्सर	गुर्दा प्रत्यारोपन	2,70,000	दो लाख सत्तर हजार स्वीकृत।
			3,20,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,20,000/- (तीन लाख बीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 176871 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-26020100006069 खाता धारक का नाम-Dr. R.M.L. Hospital खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-बैंक आफ बड़ौदा, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड सं०-BARB0RAMDEL में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी

बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

- 5 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1049 (14)

पटना, दिनांक 17/4/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०. 176871 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सबधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/.एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक/अधीक्षक
इंस्टीच्युट आफ लीवर एंड
बायलेरी साइंस, वंसतकुंज, डी०-1
नई दिल्ली 110070

पटना, दिनांक..

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.04.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मास्टर अमृत राज माता- पिकी कुमारी ग्राम- 28 नियर गोंधी मूर्ति तकियापर दानापुर पो०- दीघा थाना- दानापुर जिला- पटना	Ruptured Pancreatitis रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	राजेश कुमार सोनी पिता- बैधनाथ प्रसाद ग्राम- मेन रोड बैरगनिया पो०+थाना- बैरगनिया जिला- सीतामढ़ी	पोस्ट लिवर ट्रांसप्लांट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	अनिल कुमार सिन्हा पिता- स्व० लाला प्रसाद ग्राम- करिगापुर पो०- इटौरा थाना- मानपुर जिला- नालदा	Liver Cirrhosis	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			3,00,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,00,000/- (तीन लाख) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 12687/द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50100143852078 खाता धारक का नाम-“इंस्टीच्युट आफ लीवर & ८

बायलेरी साईस" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- एचडीएफसी बैंक, शाखा का नाम-Site No-2,OCF pocket, sector C, Vasant Kunj. New Delhi-110070, ब्रांच, RTGS/ IFSC कोड  HDFC0000273 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करे। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1048(14)

पटना, दिनांक 17/4/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196871 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी सबधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक,

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,

असारीनगर, नई दिल्ली। 110029

पटना, दिनांक . . .

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.04.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अनीष कुमार पिता- उमेश यादव ग्राम- रसूलपुर पो0- बिन्दुसार (हामिद) थाना- सिवान मुफ्फसिल जिला- सिवान यूएचआईडी न0- 20130080880	Nephrotic Syndrome	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	विन्दा देवी पति- इन्द्रमा पासवान ग्राम- महुअरि, पो0- चांप थाना- अकोढीगोला जिला- रोहतास यूएचआईडी न0- 107829544	Aplastic Anemia	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	खुशी कुमारी पिता- राकेश कुमार सिन्हा ग्राम- केशोपुर जमालपुर पो0+थाना- जमालपुर जिला- मुगेर यूएचआईडी नं0- 107710806	Chronic Calcific Pancreatitis	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	आशिष आनन्द पिता- धर्मेन्द्र सिंह, ग्राम- खजुरी पो0- अख्तियारपुर खजुरी थाना- घटहो ओ0 पी0 जिला- समस्तीपुर यूएचआईडी नं0- 108191290	Macrophage Activation Syndrome	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

5	आशुतोष मिश्रा पिता- विमलेश मिश्रा ग्राम- नारर गोठ टोल पो0- नारर वेस्ट थाना- कलुआही जिला- मधुबनी यूएचआईडी न0- 107708161	बोन मैरा ट्रासप्लाट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत।
			8,00,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 8,00,000/- (आठ लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ~~176871~~... .. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10874588593, खाता धारक का नाम- AIIMS PATIENT TREATMENT ACCOUNT खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं0-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1045 (14)

पटना, दिनांक 17/4/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 ~~176871~~... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाता धारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 /एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक,

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
असारीनगर, नई दिल्ली-110029।

पटना, दिनांक....

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.04.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	धनेश्वर तिवारी पिता- बाके तिवारी ग्राम+पो0- सहलौर थाना- सराय जिला- सिवान यूएचआईडी न0- 103307951	हृदय रोग एमभीआर	1,10,000	एक लाख दस हजार स्वीकृत।
			1,10,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,10,000/- (एक लाख दस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता स0-30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 176877 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-10874584258, खाता धारक का नाम-AIIMS CT PATIENT'S ACCOUNT खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड स0-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जाय।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

९

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1046(14)

पटना, दिनांक 17/4/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है किसलग्न चेक सं० 19687/ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाता धारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 / एम 11-1 / 2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
असारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक.

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.04.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मनिया देवी पति- मुखलाल प्रसाद ग्राम- एस0 के0 नगर चकारम देवी सीन पो0- जी0 पी0 ओ0 थाना- बुद्धा कॉलोनी जिला- पटना यूएचआईडी न0- 108178883	हृदय रोग सीएबीजी	95,000	पन्चानवे हजार स्वीकृत।
			95,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 95,000/- (पन्चानवे हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” खाता स0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक स0 196871... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0- 10874584269, खाता धारक का नाम-“AIIMS ANGIOGRAPHY PATIENT’S ACCOUNT” खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536) ,RTGS/IFSC कोड स0-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक माग वसुली अधिनियम” के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

†

- 5 मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1047(14)

पटना, दिनांक 17/4/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196871 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों /आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
सजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
राय बरेली रोड, लखनऊ, -226014

पटना, दिनांक . . .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 09.04.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	प्रमोद साह पिता- रामप्रीत साह ग्राम- बाबू टोला परसा पो0- गुरवलिया थाना- मनुआपुल जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 2024997781	Proctocolectomy Surgery	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	दरोगा प्रसाद यादव पिता- रामएकबाल प्रसाद ग्राम- सोनबरसा पो0- सहसराव थाना- भगवानपुर हाट जिला- सिवान सीआर न0- 2019191710	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	नूतन कुमारी पति- त्रिलोकी ठाकुर ग्राम- दक्षिण तेलहुआ पो0- तेलहुआ थाना- नौतन जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 2025158488	किडनी द्युमर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	चंद्रजीत ठाकुर पिता- स्व० रामखेलावन ठाकुर ग्राम+पो0+थाना- कमतौल जिला- दरभंगा सीआर न0- 2024294128	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।

5	राजकुमार प्रसाद पिता- अनवत प्रसाद ग्राम+पो0- मेहता टोला थाना- हरसिद्धी जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 20221039792	Cataract Surgery	15,000	पन्द्रह हजार स्वीकृत।
6	जोगिन्दर सिंह पिता- विन्देश्वरी सिंह ग्राम+पो0- कर्मा लहँग थाना- टडवा जिला- औरंगाबाद सीआर न0- 2025203821	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	आशीष वर्मा पिता- सचिदानंद कुमार ग्राम- चिल्हकी पो0- अम्बा थाना- कुटुम्बा जिला- औरंगाबाद सीआर न0- 2025160644	कैसर रोग	2,00,000	दो लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
8	परमेश्वर साह पिता- सहदेव साह ग्राम+पो0- बलुआ थाना- पहाडपुर जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 2023388861	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
9	कुन्ती देवी पति- मदन पटेल ग्राम- बलुआ थरघटी पो0- बलुआ थाना- पहाडपुर जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 20241185676	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	ब्रिजेश कुमार यादव पिता- योगेन्द्र राय ग्राम- सवरी बाजार पो0+थाना- जलालपुर जिला- सारण सीआर न0- 2019917564	Robotic Mullerian Structure Excision	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
11	रमावती देवी पति- रमाकांत त्रिवेदी ग्राम+पो0+थाना- मोहनिया जिला- कैमूर भुआ सीआर न0- 2025176367	हृदय रोग एमभीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
12	दिनेश राय पिता- भूपन राय ग्राम+पो0- धरमपुर थाना- मीनापुर जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 2025212131	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

13	इन्द्रजीत कुमार पिता- श्रवण कुमार यादव ग्राम-पो0- शालग्राम थाना- साहेबपुर जिला- बेगूसराय सीआर न0- 2020149824	Myositis	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
14	शाहनाज नसीमा पति- रऊफ ग्राम- काश वार्ड सख- 11 पो0- जोगिया थाना- बरुण जिला- औरंगाबाद सीआर न0- 2024701243	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
15	प्रमोद कुमार मिश्रा पिता- पृथ्वी मिश्रा ग्राम- डुमरिया पो0- जयपुर थाना- सासाराम जिला- रोहतास सीआर न0- 20241094551	GB Choledeochal	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
16	आदित्या कुमार पिता- हरिलाल राम ग्राम- बनकटा माल पो0- बनकटा जागीरदारी थाना- भोरे जिला- गोपालगज सीआर न0- 2025199142	Lap Pyeloplasty	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
17	बेबी ऑफ कुमारी प्रिती शर्मा पिता- धनन्जय कुमार शर्मा ग्राम- दुबे पचमवा वार्ड 11 पो0+थाना- कटेया जिला- गोपालगज सीआर न0- 2024792645	Lipo MmC Surgey and Icu Care	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
18	चचला कुमारी पिता- उमेद्र सिंह ग्राम- बसडीहा पो0- औरंगाबाद थाना- सरैया थाना- अमझोर जिला- रोहतास सीआर न0- 2024877993	ब्रेन हेमरेज रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			23,20,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 23,20,000/- (तेईस लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196871 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10095237548 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 एम0 एस0 पी0ई0डी0 खाता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का

नाम-भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम-एस0जी0पी0जी0आई0,RTGS/IFSC कोड SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- 5 चिकित्सा AIIMS के दर पर ही करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 1051 (14)

पटना, दिनांक

17/4/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 176871 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना संबंधित मरीजों को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक
एपेक्स अस्पताल प्रा० लि०
डी०एल० डबलु हाईडिल रोड,
वाराणसी। 221004

पटना, दिनांक ..

विषय – “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.04.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मो० तमजीद पिता- मो० तौफीक ग्राम+पो०- नौरंगा थाना- मुफ्फसिल जिला- गया	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	लक्ष्मीना देवी पति- हरिनारायण ठाकुर ग्राम- रजियाबान्ध पो०- बम्हौर खास थाना- मोहनियां जिला- कैमूर भभुआ	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	नन्दलाल गोड पिता- स्व० रामअधर गोंड ग्राम- बराव, पो०+थाना- चाद जिला- कैमूर भभुआ	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	नरसिंह राजभर पिता- भीनाथ राजभर ग्राम- उदयरामपुर पो०- पर्वतपुर, थाना- चैनपुर जिला- कैमूर भभुआ	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
5	धनजय सिंह पिता- राम एकबाल सिंह ग्राम+पो०- चडी थाना- अकोढीगोला जिला- रोहतास	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	रामकरण सिंह पिता- गजाधर सिंह ग्राम+पो०- कालप्रसाद थाना- पीरपैती जिला- भागलपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

7	कलामुद्दीन अंसारी पिता— छेदी असारी ग्राम— बलिया, पो0— सराव थाना— नटवार जिला— रोहतास	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	रविन्द्र पाण्डेय पिता— स्व0 केदार पाण्डेय ग्राम— मानिक परासी पो0— गोरख परासी थाना— काराकाट जिला— रोहतास	प्लास्टिक सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			6,60,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,60,000/— (छ लाख साठ हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196871 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-**36180579026**, खाता धारक का नाम— **APEX WELCARE PVT, LTD** खाते का प्रकार— , बैंक का नाम— **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया**, शाखा का नाम— **SPECIALISED COMMERCIAL BRANCH JAIL ROAD VARANASI RTGS/IFSC** कोड सं0-SBIN0009252 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जाय।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- चिकित्सा **CGHS** के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करना सुनिश्चित करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को वापस किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0-**30121380424**, IFSC Code- **SBIN0006379**, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 1055(14)

पटना, दिनांक 17/4/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 196871 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0 14 /एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
क्रिश्चीयन मेडिकल कॉलेज
आई०डी०ए०, स्कूडर रोड
पी० बी० न०-3, भेल्लोर-632004

पटना, दिनांक

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष प्राधिकृत समिति की दिनांक 09.04.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नाहिद असगर पिता- मो० असगर ग्राम- दौलतपुर सिमरी पो०- सिमरी थाना- बिहटा जिला- पटना सीएमसी न०- एजी 24576	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	सजीत कुमार चौधरी पिता- राम नदन चौधरी ग्राम+पो०- मसीना थाना- खानपुर जिला- समस्तीपुर सीएमसी न०- एएफ44376	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	बिनोद कुमार चौधरी पिता- शंकर चौधरी ग्राम- टीचर कॉलोनी रामचंद्रपुर पो०- बिहारशरीफ थाना- लहेरी जिला- नालदा सीएमसी नं०- एएच 78089	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	होरिल कुमार पिता- द्वारिका महतो ग्राम- कच्ची रोड गिरिहिडा पो०+थाना+जिला- शेखपुरा सीएमसी न०- 506076 एच	हृदय रोग एभीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।

5	गीता देवी पति- दयानंदप्र यादव ग्राम- महारानीपुरम पो0+थाना+जिला- शेखपुरा सीएमसी न0- 460986 पी	हृदय रोग एभीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
6	प्रीती कुमारी पिता- गोपाल ठाकुर ग्राम+पो0+थाना- सरमेरा जिला- नालदा सीएमसी न0- 979502 पी	हृदय रोग सीएबीजी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
7	गुलाम नवी आजाद पिता- मो0 इस्माइल ग्राम- पुरुषोत्तमपुर पो0- किशुनपुर मोहिनी थाना- कुढनी जिला- मुजफ्फरपुर सीएमसी न0- एआई 45267	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
8	रोहित कुमार पिता- राजेश कुमार ग्राम- नियर डॉ शकुतला सिन्हा शिवगंज शीतल टोला आरा भोजपुर पो0- नवादा आरा थाना- नवादा जिला- भोजपुर सीएमसी न0- एएच 35228	गुर्दा प्रत्यारोपन	4,00,000	चार लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
9	सोनी खातून पति- मुस्ताक आलम ग्राम- गोहदा पो0- सोहदी थाना- महुली जिला- शेखपुरा सीएमसी न0- एआई 20079	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			15,60,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 15,60,000/- (पन्द्रह लाख साठ हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 196871 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-36889551846, खाता धारक का नाम- C.M.C.VelloreAssociation, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस0बी0आई0, शाखा का नाम-भेल्लोर, टाउन ब्रांच (1618), RTGS/IFSC कोड सं0-SBIN 0001618 मे अंतरित किया जाता।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम/अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त"बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपशान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करे। अनावश्यक रोगियो को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत

करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

6. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस करें।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छ माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1060(14) पटना, दिनांक 17/4/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलाना चेक सं० 196871 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख